राजनीतिक

● कांग्रेस को पुनर्जीवित कौन कर सकता है?

कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कौन कर सकता है? एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान अधिकांश लोगों ने पार्टी की इस स्थिति के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और कुछ लोगों का मानना था कि सोनिया गांधी की पुरानी अनुभवी टीम कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकती है।

● आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में बड़े बदलाव?

बेंगलुरू में होने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक में राज्य इकाइयों में बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है। कुछ संरचनात्मक बदलावों से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रशासनिक

● 27 आईएएस अधिकारियों को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया

भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए 1994 बैच के 27 आईएएस अधिकारियों को पैनलबद्ध किया गया है, तथा सचिव समकक्ष पदों के लिए पांच अधिकारियों को पैनलबद्ध किया गया है।

● 1992 और 93 के 10 आईएएस अधिकारियों को सचिव/सचिव समकक्ष के रूप में सूचीबद्ध किया गया

1992 और 1993 बैच के 10 आईएएस अधिकारियों को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

● न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया गया है।

● आशीष श्रीवास्तव को भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया

आशीष श्रीवास्तव को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● राजेंद्र कुमार को भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया

राजेंद्र कुमार को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● शशि रंजन कुमार को भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया

शशि रंजन कुमार को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे त्रिपुरा कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● धीरज गुप्ता भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध

धीरज गुप्ता को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे एजीएमयूटी कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● नीरजा शेखर भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध

नीरजा शेखर को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। शेखर हरियाणा कैडर की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

● सुकृति लिखी भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध

सुकृति लिखी को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे राजस्थान कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● राकेश कुमार वर्मा भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध

राकेश कुमार वर्मा को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे पंजाब कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● के गोपाल सचिव के समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल

के गोपाल को भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● आनंद बर्धन को सचिव के समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया

आनंद वर्धन को भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे उत्तराखंड कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● खिल्ली राम मीना सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल

खिल्ली राम मीना को भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पदों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वे एजीएमयूटी कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● एपी दास भारत सरकार में सचिव के रूप में नियुक्त

एपी दास जोशी को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे असम-मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● नीरज वर्मा भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध

नीरज वर्मा को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे असम-मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● समीर कुमार सिन्हा भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध

समीर कुमार सिन्हा को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे असम-मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

● अतीश चंद्रा भारत सरकार में सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया

अतीश चंद्रा को भारत सरकार में सचिव/सचिव समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। वे बिहार कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने से किसान के खेत दो हिस्से में बंटे, सिंचाई करने में आएगी परेशानी

किसानों की समस्या को निर्माण एजेंसी और अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान

गंजबासौदा।

अशोकनगर से विदिशा के बीच बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग फोर लाइन में अनेक स्थल ऐसे हैं जहां किसान के एक खेत के दो भाग हुए हैं और बीच में से सड़क निकली है लेकिन किसान की व्यवहारिक कठिनाई को अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं।

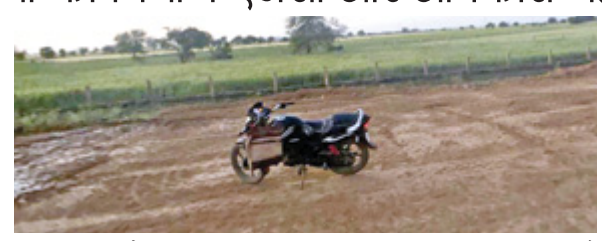

खास तौर पर निर्माण एजेंसी से किसानों का कहना है कि हमारे खेत के दो भाग हो गए और बीच में से सड़क निकल गई है खेत के दूसरे हिस्से में एक हिस्से से पानी ले जाने के लिए और बिजली की डोरी ले जाने पाइप डालना चाहिए जिससे की सिंचाई के टाइम खेत की सड़क के नीचे वाले भाग से पानी का पाइप दूसरे खेत में जा सके लेकिन इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है और किसान भटक रहे हैं। इस संबंध में अम्बा नगर और गुरोद के बीच के किसान खासतौर पर ग्राम गुरोद के किसान ममता रघुवंशी,सलमान सिंह रघुवंशी, उल्लास पंडित एवं तेज सिंह जिनकी आराजी क्रमांक ।

ग्राम गुरोद ।।146 149 150 151के खेतों के दो भाग हुए हैं और उनका कहना यह है कि एक भाग से दूसरे भाग को पानी ले जाने के लिए सड़क के नीचे से पाइप डाल दिया जाए जिससे हमेशा की झंझट खत्म हो अन्यथा हमारा दूसरे जो खेत है वह असिंचित रह जाएगा और हमको नुकसान होगा। इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है।

निर्माण एजेंसी से किसान बराबर संपर्क में और बार-बार कह रहे हैं कि अभी सड़क निर्माणाधीन है इसके नीचे से पाइप डाल दिया जाए जिससे कि हम सिंचाई का पाइप उस तरफ ले जा सकें। किसानों की वेदना यह है कि एक तो हमारे खेत के दो भाग कर दिए और मुआवजा भी कम मिला है एक खेत में ट्यूबवेल है जिससे सिंचाई पर्याप्त हो जाती थी अब बीच में सड़क बन जाने से दूसरे छूटा हुआ हिस्सा है उसमें पानी नहीं जा पाएगा ।

उसके लिए यह विकल्प है कि यहां पर पाइप डाल दिया जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा और इसके अलावा भी मोटर की डोरी ले जाना है तो वह भी इस पाइप से जा सकती है लेकिन बताया जा रहा है कि किसानों की बात को अधिकारी और निर्माण एजेंसी के कर्ताधर्ता अनदेखा कर रहे हैं।

नेशनल हाईवे की निर्माण एजेंसी से किसान रुष्ट होते जा रहे हैं । नेशनल हाईवे सड़क का कार्य एक बेहतर प्रयास है लेकिन किसानों की व्यवहारिक कठिनाई को समझना भी अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी की प्राथमिकता होना चाहिए।

मुक्तिधाम में हजारों का अंतिम संस्कार करवा चुकी हैं निर्मला देवी

मंदसौर।

मंदसौर जिले की रहने वाली निर्मला देवी ने महिला के साहस, समर्पण व प्रेरणा की मिसाल पेश की है। निर्मला देवी मुक्तिधाम में अब तक हजारों अंतिम संस्कार करवा चुकी है। नारी तू नारायणी, शास्त्रों में उल्लिखित इन शब्दों को मंदसौर शहर की महिला अपने साहस, समर्पण व प्रेरणा से चरितार्थ कर रही है। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे है।जिन्होंने ओरो के लिए भी एक मिसाल कायम की है। निर्मला देवी नाम की महिला जो निस्वार्थ भाव से करीब 15 साल से अधिक मुक्तिधाम में अपनी सेवाए दे रही है। एक और कई जगह महिलाए अंतिम संस्कार में जाती तक नहीं है। वही शहर की निर्मला देवी करीब 15 सालों से अधिक सालों से मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करवा रही है। अंतिम क्रिया के लिए लकड़ी जमाना, राख समेटना सहित अन्य कार्य इनका नियमित काम है।

निर्मला देवी मुक्तिधाम में हजारों अंतिम संस्कार करवा चुकी है, कोरोना काल के समय भी निर्मला देवी अपनी जान की परवाह न करते हुए, बड़ी संख्या में शव को जलने की व्यवस्था को देखा। मंदसौर के गौरव दिवस पर मंदसौर के गौरव से सम्मानित किया गया है। इनके दो बेटों में से एक की कोरोना में व दूसरे की करीब डेढ़ साल पहले मृत्यु हो चुकी है। ये श्मशान घाट में सेवाए दे रही है।

कार्य में लापरवाही के चलते तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, एक निलंबित

सीहोर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल वृत्त के उप महाप्रबंधक भेरूंदा राजेश अग्रवाल, ललरिया वितरण केंद्र के मैनेजर सुशील वर्मा और लाड़कुई वितरण केन्द्र के जूनियर इंजीनियर पंकज कटियार को लापरवाही और कार्य के प्रति सजग नहीं रहने के आरोप में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह गुनगा के जूनियर इंजीनियर नितेश पलारिया को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई भोपाल ग्रामीण वृत्त की समीक्षा बैठक के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने की।

प्रबंध संचालक श्री सिंघल ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट संदेश दिया की बिलिंग एफिशिएंसी (दक्षता) तथा कलेक्शन एफिशिएंसी में कमी को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब तथा जले मीटर बदलें और उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली की प्रत्येक यूनिट बिक्रित यूनिट में परिवर्तित होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों को 5 रूपये में दिए जा रहे स्थाई पंप कनेक्शन के बारे में कहा कि इसके अंतर्गत अधिक से अधिक कृषकों को कनेक्शन प्रदान करें और जहां नियमित कनेक्शन देने की कार्रवाई में अड़चन आ रही है, वहां अस्थायी कनेक्शनन अवश्य प्रदान करें।

प्रबंध संचालक श्री सिंघल ने मार्च माह का टारगेट देते हुए कहा कि मार्च माह में ग्रामीण वितरण केन्द्रों में कम से कम कुल उपभोक्ताओं की तुलना में 15 प्रतिशत नए कनेक्शन देकर नए उपभोक्ताओं को विद्युत प्रणाली से जोड़ा जाए।

निर्भया फाउंडेशन और पीपुल्स वर्ल्ड परिवार के द्वारा समाज सेवी सुनीता आज होंगी सम्मानित

रायसेन। समाज सेवी सुनीता आर्य को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निर्भया फाउंडेशन एवं पीपुल्स बर्ल्ड परिवार के द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया हैं। जिसमें 8 मार्च को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें उन महिलाओं और समूहों के लिए जो नि:स्वार्थ भावना से समाज में अपना योगदान दे रहीं है जिसके लिए नि:शुल्क स्टाल जिन महिलाओं और समूहों के द्वारा अपनी प्रतिभा को सेवा के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाये जाऐंगे। विशाल फूड कोर्ट और रिफ्रेशमेंट सभी अतिथियों के लिए रिफ्रेशमेंट बाक्स और विशेष बाउचर भी प्रदान किये जाऐंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यादगार बनाने के लिए प्रतिभाशाली महिलाओं और समाज सेवियों को उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ताकि वह भी इस अनोंखे अनुभव का आनंद लें सके यह एक ऐसा दिन होगा जहां सम्मान प्रेरणा और आनंद का नजारा एक ही मंच पे देखने को मिलेगा उस मंच का नाम निर्भया फाउंडेशन और पीपुल्स बर्ल्ड परिवार है।

वेस्ट सेन्ट्रल रेल मजदूर संघ के चुनाव में उपाध्याय अध्यक्ष बने

जबलपुर। पमरे की एक मात्र मान्यता प्राप्त निर्वाचित यूनियन वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के दो दिवसीय अधिवेशन के समापन चुनाव के साथ हुआ । उमंग सामुदायिक भवन में अशोक शर्मा पुन: महामंत्री सी.एम. उपाध्याय, अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया । डब्ल्यूसीआरएमएस के जोनल कार्यकारिणी निम्नानुसार निर्वाचित हुई। सी.एम.उपाध्याय, अध्यक्ष , कार्यकारी अध्यक्ष, बी.एल.मिश्रा, महासचिव,अशोक शर्मा मंडल अध्यक्ष एस.एन.शुक्ला, राजेश पांडे , एस.के.गुप्ता , वीरेश तिवारी, मंडल सचिव डी. पी.अग्रवाल, अब्दुल खालिक, संयुक्त महासचिव आर.के.शर्मा, संदीप श्रोती, सहायक महासचिव, जे.ऐ.नियाजी, कोषाध्यक्ष कमलेश परिहार, महिला उपाध्यक्ष, अनीता गोचर, श्रीमति सविता त्रिपाठी आदि चुने गये । नई कार्यकारिणी में चुने गए पदाधिकारियो ने रेल कर्मचारियो की ज्वलंत मांगो पर त्वरित कार्यवाही करने का संकल्प लिया ।

In The Court Of XVIII Civil Judge Class-I, District Court, Bhopal

Presiding Officer: **लोकेश तारन**

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS B/0000051/2018)

कैनरा बैंक द्वारा शाखा प्रबंधक शैलेष कुमार.....**वादी**

VS सिद्धार्थ राय..... **प्रतिवादी**

Process ID/2025 पेशी दि.: 13/05/2025

प्रेषिती-1. सिद्धार्थ राय पिता अशोक राय पता- मनं. बी.14 शिवाजी नगर सिंधु भवन के पीछे भोपाल म.प्र.। **यह कि प्रार्थी** कैनरा बैंक द्वारा शाखा प्रबंधक शैलेष कुमार ने आपके विरूद्ध वाद वास्ते वसूली के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 20 February 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुंद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें:** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

लोकेश तारन, न्यायाधीश
अठारहवें व्यवहार न्यायाधीस वरिष्ठ खंड भोपाल म.प्र.

3782

न्यायालय : के. के. निनामा जिला न्यायाधीश भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड़ म.प्र.

विवादकों के स्थिरीकरण के लिये समंस (आदेश 5 नियम 1 और 5)

Filling. No. RCA-03/2020
Reg. No. RCA-01/2020
Filling. Date. 04-01-2020

1. केशव पिता देवराम उम्र 65 वर्ष जाति बजारा निवासी खोई तहसील झिरन्या जिला खरगोन **-आवेदक**

विरूद्ध

1. सोमा पिता नन्दा उम्र 65 वर्ष जाति बंजारा निवासी 121 बी भुराबान गोधरा गुजरात **-अनावेदक**

आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष अनावेदक के विरुद्ध आरसीए प्रकरण क्रमांक-01/20 अंतर्गत आवेदनपत्र धारा-96 सीपीसी प्रस्तुत किया है। इस न्यायालय अनावेदक क्र.01 सोमा की उपस्थिति हेतु पेशी दिनांक 10.03.2025 समय 11:00 बजे आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए हाजिर होने के लिए अनावेदक क्र.01 सोमा को समंस किया गया है। अनावेदक क्र 01 सोमा न्यायालय में स्वयं या किसी प्लीडर वकील या अभिभाषक के माध्यम से उस दिन अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन दाखिल करें। अनावेदक क्र.01 सोमा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उस दिन अपना प्रतिरक्षा जवाब पेश करें और ऐसे समस्त दस्तावेज भी पेश करें जो कब्जे में हो या अपने बचाव/जवाब के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हो अनावेदक के.01 सोमा को यह भी सूचित किया जाता है कि उपर बताई गयी तारिख को इस न्यायालय में उपस्थित नही होने की दशा में अनावेदक क्र.01 सोमा के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षी कार्यवाही अग्रसरित की जावेगी। यदि किसी कारण से उक्त दिनांक को अवकाश हो या पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर चले जाते है तो प्रकरण की सुनवाई अगली पेशी दिनांक पर की जावेगी। आज दिनांक- 25-01-25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया है।

के.के. निनामा, जिला न्यायाधीश भीकनगाँव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला प. नि., मण्डलेश्वर (म.प्र.)

3786

In The Court Of XVIII Civil Judge Class-I, District Court, Bhopal

Presiding Officer : **लोकेश तारन**

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS B/0000048/2018)

कैनरा बैंक द्वारा शाखा प्रबंधक शैलेष कुमार..**वादी**

vs नूर सिंह रघुवंशी .....**प्रतिवादी**

Process ID/2025 पेशी दि.: 13/05/2025

प्रेषिती-(1) संजय वर्मा पिता रामसजीवन वर्मा पता 218 पुराना ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल म.प्र. (2) नूर सिंह रघुवंशी पिता विजय सिंह रघुवंशी पता-मनं. 124 राधा कुंज अवधपुरी भोपाल म.प्र. यह कि प्रार्थी कैनरा बैंक द्वारा शाखा प्रबंधक शैलेष कुमार ने आपके विरूद्ध वाद वास्ते वसूली के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 19 February 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दे:** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

लोकेश तारन, न्यायाधीश
अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड भोपाल (म.प्र.)

3783

न्यायालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5341/अ-6/2024-25

मौजा ग्राम: तहसील कोलार भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह कि आवेदक मेसर्स के एस. इन्टरप्राईजेस द्वारा पार्टनर संजीव अग्रवाल ने प.ह.न. 42 तहसील कोलार जिला भोपाल स्थित ग्राम बाबडीयाकलां के खसरा नं. 40/2/2/2/2/(S) रकबा 0.02 हे.में से रकबा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने पश्चात् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/फौती/ वसीयत/ हक़ त्याग के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25/03/2025 को या इससे पूर्व न्यायालय में अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत उपस्थित होकर पेश कर सकता है । समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/03/2025 को जारी किया गया।

3784

तहसीलदार तहसील, कोलार जिला भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5132/अ-6/2024-25

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक यशपाल धाकड़ आ. श्री रामसिंह धाकड़ एवं श्रीमती अंजली धाकड़ पत्नी यशपाल धाकड़ निवासी-भोपाल म.प्र.। म.प्र.भू.रा. संहिता 1959, की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP059702023A12664285 दिनांक 14/12/2023 ग्राम समरधा कलियासोत प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नं. 408/2 एवं 410/1/4, रकबा-66.82 वर्गमीटर, भूखण्ड-बी-77, 410/1/4 भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 18/03/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दि. 03/03/2025 को जारी किया गया।

3789 (सील)

प्रवाचक, तहसीलदार तहसील कोलार, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5130/अ-6/2024-25

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक यशपाल धाकड़ आ. श्री रामसिंह धाकड़ एवं श्रीमती अंजली धाकड़ पत्नी यशपाल धाकड़ निवासी-भोपाल म.प्र.। म.प्र.भू.रा. संहिता 1959, की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP059702023A12664256 दिनांक 14/12/2023 ग्राम समरधा कलियासोत प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नं. 408/2, एवं 410/1/4 रकबा-66.82 वर्गमीटर, भूखण्ड-बी-76, भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 18/03/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दि. 03/03/2025 को जारी किया गया।

3788 (सील)

प्रवाचक, तहसीलदार तहसील कोलार, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार तहसील कोलार जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5342/अ-6/2024-25

मौजा ग्राम : तहसील कोलार भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह कि आवेदक मेसर्स के एस. इन्टरप्राईजेस द्वारा पार्टनर संजीव अग्रवाल ने प.ह.न. 42 तहसील कोलार जिला भोपाल स्थित ग्राम बाबडीयाकलां के खसरा नं. 40/2/2/2/1/(S) रकबा 0.85 हे.में से रकबा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने पश्चात् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/फौती/वसीयत/ हक़ त्याग के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25/03/2025 को या इससे पूर्व न्यायालय में अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/03/2025 को जारी किया गया।

3785

तहसीलदार तहसील, कोलार जिला भोपाल

In the court of III Additional Judge To The Court of I Additional District and Session Judge Bhopal (M.P.)

पीठासीन अधिकारी श्री अजय नील करोठिया

एम. जे. सी. जी. डब्लू. 07/2025

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम

शिवांग मिरोठा पुत्र स्व. श्री भैयालाल मिरोठा.....**आवेदक**

विरुद्ध सर्वसाधारण.....**अनावेदक**

पेशी दिनांक 20.03.2025

प्रेषिति: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिवांग मिरोठा पुत्र स्व. श्री भैयालाल मिरोठा आयु 15 वर्ष द्वारा नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमती सीमा बाई मिरोठा पत्नी स्व. श्री भैयालाला मिरोठा निवासी ग्राम गोल कोलार रोड, तहसील कोलार, जिला भोपाल म.प्र. ने उनके परिवार के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम गोल पटवारी हल्का गोल, पटवारी हल्का नम्बर 009, तहसील कोलार, जिला भोपाल म.प्र. के खसरा क्र. 270 (s) कुल रकबा 0.0400 हेक्टेयर में 1/9 के मान से 0.0044 हेक्टेयर एवं खसरा क्र. 322 (s) कुल रकबा 2.1400 हेक्टेयर में 1/9 के मान से 0.2377 हेक्टेयर में जिसमें आवेदक का खसरा क्र. 270 (s) के 0.0044 हेक्टेयर एवं खसरा क्र. 322 (s) के 0.2377 हेक्टेयर में 1/4 का स्वामी के रूप में हिस्सा है को विक्रय करने हेतु शिवांग मिरोठा पुत्र स्व. श्री भैयालाल मिरोठा आयु 15 वर्ष की ओर से उसके नैसर्गिक संरक्षक एवं माता श्रीमती सीमा बाई मिरोठा पत्नी स्व. श्री भैयालाल मिरोठा को विक्रय पत्र निष्पादित करने की अनुमति प्रदाय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 20.03.2025 है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई हित है अथवा आपत्ति है तो पेशी दिनांक 20.03.2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे, तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। आज दिनांक ...../...../2025 को मेरे हस्ताक्षर से इस न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया

अजय नील करोठिया, प्रथम जिला न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल म.प्र.

3787

आपका राशिफल 08 मार्च

मेष (चू चे चो ला ली लू ले लो आ): परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। पर प्रपंच में ना पड़कर काम पर ध्यान दीजिए। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। आलस्य का त्याग करें। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। यार दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। शुभांक 3 5 7

वृष (इ उ ए ओ वा वी वू वे वो): जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। आय-व्यय समान रहेगा। कामकाज में आ